राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

राजस्व लोक अदालतों में 1053 मामलों का हुआ निस्तारण

झालावाड़ 10 जुलाई/ राजस्व लोक अदालत अभियान '' न्याय आपके द्वार '' कार्यक्रम के दौरान गुरूवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही किसानों के राजस्व संबंधी 1053 मामलों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों द्वारा 9 जुलाई को ग्राम पंचायत किशनपुरा, हरनावदा, पिपलाज में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में नामान्तकरण के 232 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार खाता दुरस्ती के 269, खाता विभाजन के 66, इजराय के 15, पत्थरगढ़ी के 8, राजस्व नकल के 200, टी.आई (स्थगन) के 5 प्रकरणों सहित धारा 251 ए, गैर खातेदारी से खातेदारी, धारा 86,183 (ए) आर.टी. एक्ट इत्यादि सहित अन्य 258 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

कम्प्यूटराईज्ड राशन कार्ड के माध्यम से ही राशन सामग्री होगी वितरित

झालावाड़ 10 जुलाई/ राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को माह जुलाई के उपभोक्ता पखवाड़े में कम्प्यूटराईज्ड राशनकार्ड के माध्यम से ही राशन सामग्री वितरित की जानी है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पास नये राशनकार्ड नहीं है उन्हें संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को ई मित्रा व सी.एस.सी. पर नये राशनकार्ड आवेदन-पत्रा की रसीद प्रस्तुत करने पर ही रसीद के माध्यम से राशन सामग्री वितरित की जायेगी, लेकिन ऐसे उपभोक्ता जिनके नवीन राशनकार्ड बनकर आ गये हैं लेकिन त्राुटि पूर्ण हैं उन्हें त्राुटि पूर्ण राशनकार्डों पर भी त्राुटि सुधार होने तक राशन सामग्री वितरित की जायेगी। ऐसे उपभोक्ता जिनके राशनकार्ड त्राुटि सुधार हेतु ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, नगर निकायों में रखे हुए अथवा जिला रसद कार्यालय को भिजवाये हुए हैं, उन्हें भी संबंधित नगर पालिका के राशनकार्ड प्रभारी व ग्राम पंचायत के सचिव से त्राुटि सुधार हेतु राशन कार्ड जमा की रसीद प्रस्तुत करने पर त्राुटि सुधार होने तक उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन सामग्री वितरित की जावेगी।

उन्होंने बताया कि समस्त प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भी अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्रा में व्यापक प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं को नवीन राशनकार्ड बनवाने हेतु जागरूक करें। साथ ही उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द करें कि अपने वार्ड व ग्राम पंचायत के ऐसे उपभोक्ता जिनके पास नवीन राशनकार्ड नहीं है, उनको ई-मित्रा व सी.एस.सी. कियोस्क के माध्यम से इसी माह आवेदन करके एवं प्रचार प्रसार करवाकर नवीन राशनकार्ड जारी करायें। सभी उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री लेने जाने से पहले परिवार के समस्त सदस्यों की चाही गई जानकारियां आधार कार्ड नम्बर, बैंक का नाम व खाता संख्या एवं मोबाईल नम्बर लेकर जावें।

---

12 जुलाई को पंचायत उपचुनाव मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश धोषित

झालावाड़ 10 जुलाई/ जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने झालावाड़ पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों के उपचुनाव 2015 के मतदान दिवस पर पंचायत समिति क्षेत्रा में मतदान तिथि को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश धोषित किया है।

जिला कलक्टर ने बताया कि मतदान दिवस 12 जुलाई को पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत बिन्दाखेड़ा, पंचायत समिति सुनेल मुख्यालय पिड़ावा की ग्राम पंचायत सुनेल व कोटड़ी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।